भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1093

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में मिलावट

†1093. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से ऐसी बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया है जहां निरीक्षणों में दूध, खाद्य तेलों, मसालों, मिठाइयों, मंदिर के प्रसाद, पेय पदार्थों और अन्य आवश्यक खाद्य उत्पादों जैसे सामान्य रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कथित रूप से मिलावट और संदूषण का पता चला है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के कितने नमूनों की जांच की गई और कितने असुरक्षित या मिलावटी पाए गए, दर्ज किए गए मुकदमे, दोषसिद्धि और निलंबित किए गए या रद्द किए गए लाइसेंसों का वर्ष-बार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में क्या सुधार किए गए हैं जिनमें सख्त गुणवत्ता मानक, निगरानी बढ़ोत्तरी, तीव्र परीक्षण अवसंरचना, अधिक दंड, पता लगाने की प्रणाली और प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित, मिलावट रहित भोजन सुनिश्चित करने और देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक अधिदेश प्राप्त मानक निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

खाद्य उत्पादों की बिक्री में संलग्न खाद्य व्यवसायों को विनियमित करने के लिए, एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और

अवशेष) विनियम, 2011 को भी अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें खाद्य उत्पादों में मौजूद कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं, विषैले तत्वों आदि की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

लगभग 98% खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार, एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों की होती है।

अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, एफएसएसएआई अपने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से पूरे वर्ष विभिन्न खाद्य उत्पादों, जिनमें दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं, के लिए स्थानीयकृत/लक्षित विशेष प्रवर्तन एवं निगरानी अभियान, निरीक्षण और नमूना संग्रहण कार्यकलाप आयोजित करता है। यदि मानकों से कोई विचलन या खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) का उल्लंघन पाया गया है, तो उल्लघनकर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक उपायों सहित नियामक कार्रवाई की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफबीओ के विरुद्ध किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
2023-24	3,57,072
2024-25	4,01,391
2025-26*	5,20,566

* वर्ष 2025-26 का डेटा अनंतिम है।

पिछले 5 वर्षों में निलंबित और रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	कुल निलंबित	कुल रद्द
2025-26	704	4764
2024-25	769	1679
2023-24	791	1505
2022-23	1100	1715
2021-22	1097	1830
कुल	**4461**	**11493**

देश भर में सभी गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावटी सहित) के लिए की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण (राज्यवार), जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, पिछले 5 वर्षों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I, II, III, IV और V** में दिया गया है।

देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में प्रयोगशाला परीक्षण, निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- परीक्षण के माध्यम से खाद्य और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण हेतु 259 राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) तथा अपील नमूनों के विश्लेषण हेतु 24 संदर्भ खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। ये प्रयोगशालाएँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विभिन्न सरकारी संस्थानों/विभागों और निजी संस्थाओं से संबंधित हैं। एफएसएसएआई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एफएसएसएआई ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को "देश में मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' योजना (सोफ्टेल) के अंतर्गत भी सहायता प्रदान की है।
- प्रयोगशाला क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए, वर्ष 2017 से अब तक एफएसएसएआई ने अपनी अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 222 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 3937 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) या "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" (एफएसडब्ल्यू) खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए सबसे व्यापक पहुँच सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से गाँवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एफएसडब्ल्यू तैनात किए गए हैं।
- "मैजिक बॉक्स" एक कॉम्पैक्ट और उपयोगकर्ता-अनुकूल किट है जिसमें सात भिन्न खाद्य पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावटों का पता लगाने के लिए सरल, त्वरित परीक्षण विधियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य दूध, मसाले, तेल और अनाज जैसी दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं में मिलावट की पहचान करना है।
- त्वरित परीक्षण द्वारा मिलावट का पता लगाना (डार्ट) पुस्तक में 44 ऐसे परीक्षणों को शामिल किया गया है जिन्हें घरेलू स्तर पर आसानी से पानी और आयोडीन टिंचर जैसे सरल घोलों की सहायता से खाद्य उत्पादों जैसे दूध एवं दुग्ध उत्पाद, तेल एवं वसा, चीनी एवं कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न एवं उनके उत्पाद, मसाले एवं मसाला मिश्रण आदि के लिए किया जा सकता है। इन परीक्षणों में खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए संवेदी मूल्यांकन परीक्षण भी शामिल हैं। डार्ट पुस्तक चित्र निरूपण के जरिए शुद्ध और मिलावटी खाद्य उत्पादों के बीच के अंतर को दर्शाती है।
- त्वरित विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण (रैपिड) किट उन्नत, उपयोग में आसान, पोर्टेबल और हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं तथा परीक्षण करने के लिए किसी भी परिष्कृत उपकरण या पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। अब तक 88 आरएएफटी किटों को अनुमोदन दिया जा चुका है। ये किट फील्ड स्तर पर खाद्य उत्पादों की जांच में लगने वाले समय को

कम करने में सहायता करती हैं और इस प्रकार निगरानी तथा निरीक्षण गतिविधियों को गति प्रदान करती हैं।

- एफएसएसएआई राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन के द्वारा निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'ईट राइट इंडिया' भी संचालित करता है। उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एफएसएसएआई ने खाद्य मिलावट और मिलावटी उत्पादों की पहचान करने के तरीकों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए "#नो टू अडल्ट्रेशन" जैसे विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। इन पहलों में जागरूकता सृजन के लिए विज्ञापन, शैक्षिक सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- इसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर "मिलावट की जाँच कैसे करें" विषय पर वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें दूध और दूध से बने उत्पादों, खाद्य तेल आदि सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के तरीकों को प्रदर्शित करने वाले छोटे वीडियो शामिल हैं। ये सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं अभियानों में प्रदर्शित की जाती हैं।
- उपभोक्ताओं और एफबीओ की शिकायतें/चिंताएं विभिन्न माध्यमों जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, एफएसएसएआई हेल्पलाइन, राज्य हेल्पलाइन, ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम (एफओएससीओएस) से प्राप्त होती हैं। फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें ऑनलाइन फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम का हिस्सा हैं। शिकायतों पर संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई की जाती है और ऐसे मामलों में, जहाँ खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, वहाँ दोषी एफबीओ के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।
- एफएसएसएआई नागरिकों को स्वस्थ भोजन और सूचित विकल्पों के लिए लेबल संबंधी जानकारी से सशक्त बनाने हेतु "#हर लेवल कुछ कहता है" नामक जागरूकता अभियान भी चला रहा है। यह पहल उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन), सामग्री सूची, एलर्जेन चेतावनियों और तिथि अंकन जैसे प्रमुख तत्वों के बारे में शिक्षित करती है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2025-2026 के दौरान गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावटी सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	राज्य	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-मानक पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामले	आपराधिक मामले
				शास्ति के साथ निपटाए गए	दोषसिद्धि की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5,798	429	196	16
3	अरुणाचल प्रदेश	191	10	1	0
4	असम	1,444	117	0	0
5	बिहार	1,850	94	25	0
6	चंडीगढ़	603	53	71	17
7	छत्तीसगढ़	2,065	214	200	2
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	151	0	0	0
9	दिल्ली	1,684	109	32	16
10	गोवा	2,492	321	12	0
11	गुजरात	11,903	824	842	65
12	हरियाणा	2,335	723	1,424	116
13	हिमाचल प्रदेश	1,589	321	359	9
14	जम्मू और कश्मीर	6,546	664	1,368	14
15	झारखंड	1,281	356	73	0
16	कर्नाटक	13,349	537	248	33
17	केरल	16,746	1,863	1,026	330
18	लद्दाख	519	26	12	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12,448	757	1,790	32
21	महाराष्ट्र	7,694	1,335	2,445	8
22	मणिपुर	570	0	1	0
23	मेघालय	388	22	0	0
24	मिजोरम	198	1	0	0
25	नागालैंड	238	13	0	0
26	उड़ीसा	1,110	61	0	0
27	पुदुचेरी	388	84	0	0
28	पंजाब	7,809	1,031	723	25
29	राजस्थान	17,325	4,594	2,695	31
30	सिक्किम	418	7	6	0
31	तमिलनाडु	44,603	3,984	1,359	857
32	तेलंगाना	3,576	398	0	0
33	त्रिपुरा	304	14	0	0
34	उत्तर प्रदेश	39,519	20,427	14,890	342
35	उत्तराखंड	1,937	224	243	5
36	पश्चिम बंगाल	14,737	410	1,837	0
	कुल	**2,23,808**	**40,023**	**31,878**	**1,918**

*** वित्त वर्ष 2025–26 का डेटा अनंतिम है और आगे की लैब टेस्टिंग और अदालती कार्यवाही के नतीजों के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है।**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2024-2025 के दौरान गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**गैर-मानक पाए गए नमूनों की संख्या**	**सिविल मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	810	4	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5984	514	464	8
3	अरुणाचल प्रदेश	125	9	7	0
4	असम	1705	234	0	0
5	बिहार	2863	124	25	0
6	चंडीगढ़	374	65	116	41
7	छत्तीसगढ़	2069	270	143	6
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	56	0	0	0
9	दिल्ली	2624	130	18	16
10	गोवा	1172	74	11	0
11	गुजरात	12387	901	859	91
12	हरियाणा	2233	500	599	59
13	हिमाचल प्रदेश	1587	293	471	0
14	जम्मू और कश्मीर	6955	651	1,239	29
15	झारखंड	364	138	52	0
16	कर्नाटक	9371	662	283	32
17	केरल	10767	1635	1,088	206
18	लद्दाख	417	45	38	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13920	1635	2,597	22
21	महाराष्ट्र	5403	1250	1,147	0
22	मणिपुर	126	1	2	0
23	मेघालय	388	5	0	0
24	मिजोरम	0	2	0	0
25	नागालैंड	223	11	0	0
26	उड़ीसा	2282	273	27	0
27	पुदुचेरी	173	0	0	0
28	पंजाब	4131	748	333	8
29	राजस्थान	13840	3788	3,114	30
30	सिक्किम	254	0	0	0
31	तमिलनाडु	18071	2240	1,536	492
32	तेलंगाना	3347	324	125	0
33	त्रिपुरा	123	5	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30380	16500	14,920	215
35	उत्तराखंड	1509	140	256	4
36	पश्चिम बंगाल	14502	1217	672	6
	कुल	**170535**	**34388**	**30142**	**1265**

अनुलग्नक-III

वर्ष 2023-24 के दौरान गैर मानक (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**विश्लेषित नमूनों की संख्या**	**गैर-मानक पाए गए नमूनों की संख्या**	**दीवानी मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6439	472	646	8
3	अरुणाचल प्रदेश	501	11	2	0
4	असम	1139	125	0	0
5	बिहार	2806	126	79	0
6	चंडीगढ़	311	49	87	52
7	छत्तीसगढ़	1373	167	86	2
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	185	0	0	0
9	दिल्ली	3412	150	36	12
10	गोवा	599	16	17	0
11	गुजरात	15841	910	1701	65
12	हरियाणा	3485	856	593	47
13	हिमाचल प्रदेश	1618	401	376	2
14	जम्मू और कश्मीर	9057	750	1612	22
15	झारखंड	384	292	59	0
16	कर्नाटक	5492	286	75	16
17	केरल	10792	1304	854	134
18	लद्दाख	638	11	19	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13998	2022	1938	46
21	महाराष्ट्र	5087	1174	154	0
22	मणिपुर	168	3	0	0
23	मेघालय	123	7	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	138	3	3	0
26	उड़ीसा	2003	252	0	0
27	पुदुचेरी	31	0	0	0
28	पंजाब	6041	929	1204	102
29	राजस्थान	18536	3493	2181	12
30	सिक्किम	231	0	0	0
31	तमिलनाडु	18146	2237	2195	478
32	तेलंगाना	6156	973	425	0
33	त्रिपुरा	87	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	27750	16183	14627	163
35	उत्तराखंड	1998	192	332	0
36	पश्चिम बंगाल	5948	414	285	0
	कुल	**170513**	**33808**	**29586**	**1161**

वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।					
क्र. सं.	**राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र **का नाम**	विश्लेषित नमूनों की संख्या	**गैर-**मानक **पाए गए नमूनों की संख्या**	सिविल **मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200	46	58	0
2	आंध्रप्रदेश	3607	314	339	12
3	अरूणाचलप्रदेश	258	11	0	0
4	असम	602	99	0	0
5	बिहार	2935	92	39	0
6	चंडीगढ़	473	64	27	8
7	छत्तीसगढ़	1468	96	119	8
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	164	10	13	0
9	दिल्ली	3133	255	86	10
10	गोवा	699	103	11	0
11	गुजरात	14562	978	547	24
12	हरियाणा	4445	1425	915	35
13	हिमाचल प्रदेश	2720	729	93	1
14	जम्मू और कश्मीर	13502	1195	1592	15
15	झारखंड	943	370	44	8
16	कर्नाटक	3416	322	191	15
17	केरल	8533	1362	454	33
18	लद्दाख	220	6	23	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्यप्रदेश	12507	2092	1908	71
21	महाराष्ट्र	11077	1340	198	5
22	मणिपुर	169	4	0	0
23	मेघालय	409	41	0	0
24	मिजोरम	140	0	0	0
25	नागालैंड	109	6	0	0
26	ओडिशा	1368	367	47	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0
28	पंजाब	8179	1724	1404	5
29	राजस्थान	13184	3965	2435	4
30	सिक्किम	279	0	4	0
31	तमिलनाडु	24188	7924	3714	678
32	तेलंगाना	4809	894	315	0
33	त्रिपुरा	31	8	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30140	18108	13148	251
35	उत्तराखंड	1839	342	507	5
36	पश्चिम बंगाल	6203	334	233	0
कुल		**177511**	**44626**	**28464**	**1188**

अनुलग्नक-**V**

वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-मानक खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण।

क्र. सं.	**राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र **का नाम**	विश्लेषित नमूनों की संख्या	**गैर-**मानक **पाए गए नमूनों की संख्या**	सिविल **मामले**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति के साथ निपटाए गए	**दोषसिद्धि की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	850	4	5	0
2	आंध्र प्रदेश	5290	533	484	6
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2	0	0
4	असम	520	67	5	0
5	बिहार	555	17	75	0
6	चंडीगढ़	388	28	60	1
7	छत्तीसगढ़	1436	180	90	6
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	234	0	7	0
9	दिल्ली	1956	218	89	27
10	गोवा	200	14	2	0
11	गुजरात	13663	824	668	14
12	हरियाणा	4235	1182	78	21
13	हिमाचल प्रदेश	1745	308	249	0
14	जम्मू और कश्मीर	8109	1735	1931	4
15	झारखंड	175	85	42	8
16	कर्नाटक	5844	150	125	0
17	केरल	7855	925	237	10
18	लद्दाख	47	19	12	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	16059	2900	2030	72
21	महाराष्ट्र	9580	1454	787	12
22	मणिपुर	236	3	1	1
23	मेघालय	70	5	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	127	14	0	0
26	ओडिशा	1168	260	52	0
27	पुदुचेरी	5	2	2	0
28	पंजाब	6768	1059	0	8
29	राजस्थान	10386	2891	626	1
30	सिक्किम	66	5	0	0
31	तमिलनाडु	16363	3778	2884	360
32	तेलंगाना	3077	353	77	0
33	त्रिपुरा	31	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21987	13153	8585	118
35	उत्तराखंड	2511	560	182	1
36	पश्चिम बंगाल	2701	207	52	1
कुल		**144345**	**32935**	**19437**	**671**
